

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2003

संख्या का० आ० 45/ह० अ० 6/2003/धा० 55/2003.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 55 की उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने याली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आबकारी तथा कराधान आयुक्त को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

चन्द्र सिंह,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2003

No. S. O. 45/H. A. 6/2003/S. 55/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 55 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby appoints the Excise and Taxation Commissioner as Commissioner for carrying out the purposes of the said Act.

CHANDER SINGH,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.